का.ज्ञा. सं. 4-2(12)/2020-डीडी-1

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

****

पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली –110 003

दिनांक: 02 नवंबर, 2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः- सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता हेतु योजना के तहत दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ यूडीआईडी पहचान पत्र अथवा यूडीआईडी के नामांकन संख्या की अनिवार्य आवश्यकता - के संबंध में ।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय का संदर्भ लेने तथा इस विभाग के दिनांक 03.03.2023 के आदेश सं. पी-13013/23/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी का संदर्भ लेने हेतु निर्देश हुआ है जिसमें इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के लिए यूडीआईडी पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया गया है (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) ।

2. तद्नुसार, दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से एडिप के तहत किसी भी प्रकार के वितरण के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य है। यदि यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मामलों में एडिप योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या को स्वीकार्य किया जाए ।

3. यदि लाभार्थियों के पास यूडीआईडी पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे मामलों में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से अनुरोध है कि वे लाभार्थियों को यूडीआईडी पहचान पत्र के नामांकन संख्या प्राप्त करने में सहायता करेंगे।

<u>संलग्नक :- यथोपरि ।</u>

SANDEEP KUMAR

Digitally signed by SANDEEP KUMAR
Date: 2023.11.22 13:08:30 +05'30'

(संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

एडिप योजना के तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. सयुक्त सचिव (आरवाई)/सयुक्त सचिव (आरएस)/सयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव